

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक 05.12.2023

संख्या:1/सी0-1019/2023-सा0प्र0-22079/ राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों (जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2010 का बैच आवंटित है तथा जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी0-1011/2022-सा.प्र.-15116 दिनांक 27.08.2022 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रभार दिनांक 27.08.2022 को ग्रहण किया था) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-20011/02/2022-ए आई एस-॥ दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के तहत दिनांक 27.08.2022 के प्रभाव से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान -लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन/पूर्व धारित पद
1	श्री अमरेन्द्र कुमार 13.01.1964	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय
2	श्री विजय कुमार सिंह 02.12.1964	बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय
3	श्री पंकज कुमार 21.02.1965	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर
4	श्री एस.एम. कैसर सुलतान 01.01.1964	संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
5	श्री मिथिलेश कुमार साहु 02.02.1964	संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना
6	श्री सुमन कुमार 13.05.1963	तदेन संयुक्त संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
7	श्री आशुतोष कुमार वर्मा 11.10.1964	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा



8	श्री दुर्गा नन्द झा 06.02.1964	सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना
9	श्री राम शंकर 02.09.1963	तदेन जिला पदाधिकारी, शिवहर
10	श्री विनय कुमार 14.05.1963	तदेन संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना
11	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता 16.07.1963	तदेन संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना
12	श्री रमेश कुमार झा 16.04.1963	तदेन निदेशक, निःशक्तता, बिहार, पटना
13	श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा 01.11.1963	तदेन संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
14	श्री राजेश चौधरी 15.01.1963	तदेन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
15	श्री यशस्पति मिश्र 22.03.1963	तदेन निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना
16	श्री सर्व नारायण यादव 01.02.1963	तदेन निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना
17	श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव 15.05.1964	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना
18	श्री दिनेश कुमार राय 02.01.1966	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
19	श्री बिरेन्द्र प्रसाद 06.07.1963	तदेन निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, बिहार, पटना
20	श्री अरुण कुमार ठाकुर 11.01.1964	संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
21	श्री मो० नैय्यर इकबाल 15.02.1966	निदेशक, खान, बिहार, पटना
22	श्री नवल किशोर 15.12.1963	तदेन निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
23	श्री रवि भूषण 27.03.1964	सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

24	श्री कपिलेश्वर मंडल 01.02.1963	तदेन बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया
25	श्री मीनेन्द्र कुमार 28.01.1966	सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना
26	श्री राकेश कुमार 10.02.1966	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई

2. आलोच्य अधिसूचना के क्रमांक-4 (श्री एस. एम. कैसर सुलतान), क्रमांक-5 (श्री मिथिलेश कुमार साहू) एवं क्रमांक-20 (श्री अरुण कुमार ठाकुर) को अपर सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(रचना पाटिल)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: /सी0-1019/2023-सा0 प्र0-22079/पटना-15, दिनांक: 05.12.2023

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संदर्भित अधिसूचना के आलोक में अपर सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(I) के

तहत अधिसूचना के क्रमांक-2 (श्री विजय कुमार सिंह), 8 (श्री दुर्गा नन्द झा), 23 (श्री रवि भूषण) और 25 (श्री मीनेन्द्र कुमार) द्वारा वर्तमान में धारित पदों को उक्त पद पर उनके पदस्थापनकाल तक के लिए भा0प्र0से0 के अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

”Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post.”


5.12.23

सरकार के विशेष सचिव।